न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–09 / 2009–10

सदन यादव उर्फ सदन प्रसाद बनाम **कांति देवी**

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
10/10/18	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा जमाबंदी रद्द वाद सं0 18 / 2005–06 में दिनांक–10.10.2008 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षी श्रीमती कांति देवी, पति नंद किशोर मेहता, ग्राम–शाहगंज, थाना–सुलतानगंज, जिला–पटना को सामान्य एवं निबंधित नोटिस भेजी गयी। नोटिस का तामिला नहीं होने की स्थिति में दिनांक–12.11.2013 को समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कराये जाने का आदेश दिया गया। आवेदक के द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी। आवेदक दिनांक–23.01.2018 से लगातार अनुपस्थित हैं। दिनांक–27.03.2018 को आवेदक को अंतिम मौका दिये जाने के बावजूद आवेदक आज भी अनुपस्थित है। **आवेदक के आवेदन के अनुसार** (1) रामधूप महतो के द्वारा मौजा दीघा तौजी नं0–5123 खाता नं0 330 खेसरा नं0 4414 रकवा 19 धूर का क्रय किया गया था। प्रश्नगत भूखण्ड रामधूप महतो के दखल–कब्जा में थी तथा रामधूप महतो के नाम से जमाबंदी सं0 501 कायम थी। रामधूप महतो के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर एक खपड़पोश मकान का निर्माण किया गया था। (2) रामधूप महतो को पहली पत्नी धनवा देवी से कोई संतान नहीं थी। रामधूप महतो इस वाद के आवेदक सदन यादव को वर्ष 1972 में ही जहानाबाद जिला से लाकर अपने साथ बांस कोठी, दीघा स्थित मकान में रखा। आवेदक की शिक्षा भी स्थानीय स्तर पर दिलायी गयी। आवेदक रामधूप महतो को उनके व्यवसाय में भी सहयोग करते थे। उनके आम के बगीचे तथा आलू प्याज के कारोबार की देखभाल करते थे। (3) धनवा देवी की वर्ष 1974 में मृत्यु हो गयी। धनवा देवी की मृत्यु के	

उपरान्त रामधूप महतो ने सोनामति देवी से विवाह कर लिया। सोनामति देवी भी आवेदक को पूर्ण स्नेह दिया करती थी। सोनामति देवी के भी कोई संतान नहीं हुयी।

(4) वर्ष 1987 में रामधूप महतो की मृत्यु हो गयी। दाह संस्कार एवं श्राद्ध कर्म जैसे कार्य आवेदक के द्वारा सम्पादित किए गए। रामधूप महतो की मृत्यु के उपरान्त सोनामति देवी की देखभाल आवेदक के द्वारा की जाने लगी।

(5) रामधपू महतो की मृत्यु के उपरान्त उनकी सम्पति पर सोनामति देवी दखल में आयी। सोनामति देवी को आवेदक से अत्यन्त प्रेम एवं स्नेह था। सोनामति देवी के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड एवं उस पर बने मकान के लिए दिनांक–15.04.1999 को आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा लिख दिया गया। सोनामति देवी की दिनांक–30.08.1999 को मृत्यु हो गयी।

(6) सोनामति देवी को अपनी कोई संतान नहीं थी, यह दिनांक–15.04.1999 को निष्पादित वसीयतनामा में भी अंकित है।

(7) सोनामति देवी के श्राद्ध कर्म में भाग लेने के दौरान विपक्षी श्रीमती कांति देवी के द्वारा जमीन संबंधी मूल दस्तावेज एवं अन्य महत्वपूर्ण कागजात चुरा लिए गये। उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर स्वंय को सोनामति देवी की पुत्री बताते हुए प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी अपने नाम से कायम करवा ली गयी।

(8) विपक्षी के द्वारा आवेदक को प्रश्नगत मकान से निकालने हेतु निष्कासन वाद सं0–01/2004 दायर किया गया।

(9) आवेदक के द्वारा दिनांक–15.04.1999 के वसीयतनामा के आलोक में प्रोवेट वाद सं0 177/2004 दायर किया गया है, जो अभी विचाराधीन है।

(10) विपक्षी के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड के लिए कायम जमाबंदी सं0 11007 को रद्द कराने हेतु आवेदक के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में विविध वाद दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा जमाबंदी रद्द वाद सं0–18/2005–06 के अन्तर्गत सुनवाई कर साक्ष्यों एवं तथ्यों की अनदेखी करते हुए आवेदक का आवेदन खारिज कर दिया गया। जमाबंदी रद्द वाद सं0–18/2005–06 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 10.10.2008 को पारित आदेश रद्द करने योग्य है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया प्रति दाखिल की गयी है।

(1) आम का बगीचा की बन्दोबस्ती संबंधी सीता राम साह, लाल महतो एवं गुलजारी महतो का ब्यान

(2) दिनांक–15.04.1999 का वसीयतनामा के सत्यापित प्रति

(3) प्रोवेट वाद सं0–177/2004 का आदेश फलक

आवेदक के आवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मामला स्वत्व का है। रामधूप महतो एवं सोनामति देवी का कानूनी वारिस कौन होगा यह सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही निर्णित हो सकता है। निष्कासन वाद सं0 01/2004 में व्यवहार न्यायालय के द्वारा आवेदक को किरायादार माना गया है। व्यवहार न्यायालय के आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय के द्वारा भी की गयी है।

आवेदक के द्वारा प्रोवेट वाद दायर किया गया है। प्रोवेट होने के पश्चात आवेदक प्रश्नगत भूखण्ड पर दावा कर सकते है। वर्तमान में विपक्षी कांति देवी के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द किये जाने का कोई ठोस आधार नहीं है।

सम्यक विचारोपरान्त मेरा यह मत है कि जमाबंदी रद्द वाद सं0–18/2005–06 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना के द्वारा दिनांक–10.10.2008 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना